स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें

पिथौरागढ़ में मा. मुख्यमंत्री जी की अगुवानी में संचालित स्वच्छता अभियान

शहर को स्वच्छ बनाने के लिए आप ऐसे करें कूड़ा प्रबंधन में सहयोग –

- अपने घरों के जैविक (गीला या किचन का कूड़ा), अजैविक (सूखा कूड़ा) कूड़े को अलग-अलग कूड़ेदान में रखें।
- बाजार अथवा सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकें।
- अपने घर/मोहल्ले/नगर में गीले कूड़े से खाद बनाएं।
- पालिका की ओर से कूड़ा एकत्रीकरण के लिए बॉयलॉज के माध्यम से निर्धारित किए यूजर चार्ज का समय पर भुगतान कर स्वच्छता की मुहिम में भागीदार बनें।
- रिसाईक्लेबल सूखे कूड़े तथा गीले कूड़े से बनी खाद की बिक्री कर कूड़े से कमाई की जा सकती है।

3- **ऐसे लोगों की आदतों में बदलाव लाना आवश्यक है**

- जो अपने कूड़े को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते।
- जो सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं।
- जो खुले में शौच की प्रवृत्ति का विरोध नहीं करते।

आपके शहर को स्वच्छ शहर बनाने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक –

- खुले में शौच, मूत्र-त्याग न करें तथा दूसरों को भी इस हेतु जागरूक करें।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अब कूड़ा निस्तारण में कूड़ा उत्पादकों की भी भूमिका तय की जा चुकी है। अतः अपने कूड़े के निस्तारण को अपनी जिम्मेदारी मानें।
- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से राज्य में प्लास्टिक कैरिबैग/पॉलिथीन का प्रयोग प्रतिबंधित है। अतः इनका प्रयोग न करें।
- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकें न थूकें, ऐसा करना ''The Uttarakhand Anti Littering and Anti Spitting Bill - 2016'' के तहत दण्डनीय अपराध है।
- स्वच्छता कार्यक्रमों एवं जनजागरूकता अभियानों में बढ़-चढ़ कर भागीदारी करें।
- विभिन्न जन स्वच्छता कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भागीदारी करें।

अपील

- स्कूल कॉलेजों में शौचालय को साफ-स्वच्छ रखें तथा उनका प्रयोग करें। विद्यालय परिसर के गीले कूड़े, घास-फूस, पत्तियों इत्यादि से कम्पोस्ट बनाएं।
- कूड़े को कूड़ेदानों में ही डालें। शहर को गंदा करने वालों की सोच को बदलने का संकल्प लें।
- अपने ऑफिस को शहर का सबसे स्वच्छ ऑफिस बनाने के लिए जुटें। कार्यालय परिसर में कम्पोस्ट यंत्र स्थापित करें।
- अपने नगर को जिले का सबसे स्वच्छ नगर बनाने के लिए आगे आएं। यह शहर आपकी पहचान भी है।

स्वच्छता शपथ

मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करुंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे विद्यालय से शुरूआत करूंगा। मैं शहर-शहर और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वच्छता शपथ अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

स्वच्छ भारत स्वच्छ उत्तराखण्ड

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
शहरी विकास निदेशालय

31/62 राजपुर रोड, देहरादून

Email - sbmurbanuk@gmail.com, directorudd@gmail.com, directorsudauk@gmail.com, amrutuk.udd@gmail.com, pmayurbanuk@gmail.com,
Facebook Page - (SBM-Urban,Uttarakhand), Twitter Account @U_sbm,
Twitter Handle - #MyCleanIndia #MyCleanUttarakhand
Phone - 0135-2749541, 2742885 and Fax- 0135-2749542, 2742885

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छता की ज्योत जागी है !

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), उत्तराखण्ड

जो परिवर्तन आप देखना चहाते हैं उसका हिस्सा बनिऐ ।

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)के तहत हरिद्वार में स्वच्छता कार्यक्रम को नेतृव प्रदान करते हुये मा. मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी एंव मा. शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक जी

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

देश के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ तथा जीवन यापन हेतु बेहतर स्थान की तरह विकसित करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का आरम्भ 02 अक्टूबर, 2014 को 5 वर्ष की अवधि (02 अक्टूबर, 2019 तक) के लिए किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों के प्रति राज्य सरकार अत्यधिक गंभीरता तथा दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। ग्रामीण उत्तराखण्ड ओ0डी0एफ0 हो जाने के उपरान्त राज्य के समस्त शहरी निकायों को भी शीघ्र ''खुले में शौच से मुक्त'' (ओ.डी.एफ.) करने का संकल्प लिया गया है। स्वच्छता के प्रति सरकार की गंभीरता निम्न निर्णयों से स्पष्ट दिखाई देती है।

- 19 मार्च को सम्पन्न राज्य सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक से ही स्वच्छता को प्राथमिक एजेण्डे पर लेते हुए 20 मार्च 2017 को सभी कैबिनेट सदस्यों द्वारा राज्य के अलग-अलग नगरों में स्वच्छता अभियान संचालित किये गये। मुख्यमंत्री महोदय ने शहरी विकास मंत्री जी के साथ हरिद्वार के हर-की-पैड़ी से इस अभियान को नेतृत्व दिया।
- पालिकाओं को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने हेतु ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पालिकाओं को मिलने वाली धनराशि को बढ़ा कर लगभग ढाई गुना किया जा चुका है।
- राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु दी जा रही धनराशि को रु. 5333/- से बढ़ा कर रु.12,000/- प्रति परिवार प्रति शौचालय किया जा चुका है।
- स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली पालिकाओं को तथा राज्य की प्रथम छः ओ0डी0एफ0 निकायों को सार्वजनिक आयोजन में ''मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार'' से सम्मानित कर नगरों के बीच स्वच्छता से सम्मान प्राप्त करने की स्वथ्य प्रतियोगिता का महौल तैयार किया जा रहा है।
- मानव मल का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु ''सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल-2017'' निर्मित किया जा चुका है।

- शहरी क्षत्रों में ''खुले में शौच'' करने की प्रवृत्ति का उन्नमूलन।
- शहरी निकायों के अंतर्गत उत्पादित होने वाले ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से प्रबन्धन।
- सार्वजनिक व व्यक्तिगत साफ-सफाई के मानव स्वास्थ्य के साथ संबंध को उजागर करते हुए जन जागरुकता के माध्यम से सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन करना।
- नगर निकायों का क्षमता विकास करना तथा उपरोक्त हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना।

मिशन के घटक :-

1- राज्य में, समस्त 92 शहरी निकायों को शीघ्र ही ''खुले में शौच से मुक्त'' (ओ.डी.एफ.) करना सर्वोच्च प्राथमिकता।

- यदि आपके पास शौचालय नहीं है तो अपने पालिका कार्यालय में सम्पर्क कर व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए दी जा रही सहयोग राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- सीएससी से या आनलॉईन (www.swachhbharaturban.gov.in) आवेदन भी मान्य।
- अपने अस्वास्थ्यकर शौचालय को टू-पिट सिस्टम/सेप्टिक टैंक में उच्चीकृत करने अथवा सीवर लाईन से संयोजन करने के लिए भी आप प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- ''निम्न आय वर्ग'' या ''अनौपचारिक बस्तियों'' अथवा मलिन बस्तियों में निवासरत परिवारों जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए जमीन न हो, के लिए 500 मीटर के दायरे में आसपास की सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर अपने पालिका कार्यालय के माध्यम से सामुदायिक शौचालय बनवा सकते हैं।
- शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा उनके 1000 मीटर के दायरे में पालिका कार्यालय के माध्यम से सार्वजनिक शौचालय बनावा सकते हैं।
- सार्वजनिक मूत्रालय के निर्माण के लिए भी निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

2- निकायों में उत्पादित होने वाले ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन

राज्य के समस्त 92 नगरीय निकाय क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले कूड़े के प्रबंधन हेतु परिसंस्करणीय (Recyclable) कूड़े के पृथक्करण तथा प्रबंधन एवं जैविक कूड़े (Bio-Degradable) से कम्पोस्ट बनाने को प्रेरित करने का लक्ष्य लिया गया है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नगर पालिका परिषद डोईवाला में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस (05 जून) को नागरिकों को गीले कूड़े के लिए हरे तथा सूखे कूड़े के लिए नीले रंग के कूडेदान वितरित कर राज्य स्तरीय सोर्स सेग्रिगेशन अभियान का शुभारंम्भ किया।

गीला कूड़ा-सब्जी तथा फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, फूल, पत्तियां इत्यादि।

सूखा कूड़ा-कागज, रैपर, प्लास्टिक की बोतलें, कपड़े, जूते, चप्पल, पैन के खोल इत्यादि।

उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु संबंधित निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) से अथवा राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई से किसी भी कार्यदिवस पर सम्पर्क किया जा सकता है।